

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा

## निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (82) निकाशि / अनु/05/ । १९०

दिनांक:- 26.8.13

### आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार अकादमी सत्र 2013-14 से निम्न महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

पत्रांसं.	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित विषय/ संकाय
82	जसवीर मेमोरियल महाविद्यालय, याया पोस्ट साण्डवा, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	पूर्ण संचालित विषय/ संकाय

- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी ।
- संकाय / विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा ।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है ।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा रवीकृत मानशिक्रों के अनुरूप किया जायेगा ।
- निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निरीक्षण करवाया जायेगा ।
- संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक रुपांतर की नियुक्ति की जानी होगी ।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा ।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 दर्घ में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
- संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेगी ।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट [www.collegeeducation.rajasthan.gov.in](http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है ।
- संस्था द्वारा एन०एस०एस०/एन०सी०सी०/रोवरिंग एवं रेंजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा । इसकी सूचना समन्वयक एन०एस०एस०, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित 31 जुलाई, 2013 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे ।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय सम्बन्धी प्रवेश नीति 2013-14 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा ।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- निजी संचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- निजी संचिव, प्रमुख शासन संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- जिला कलेक्टर, चूरू ।
- कुल संचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
- संचिव, संबंधित संस्था/महाविद्यालय ।